राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	रिमाण्ड संख्या 2/2014 अंतर्गत अपील संख्या 127/2005 वीरेन्द्र कुमार मिश्रा	1. प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, तृतीय मंजिल, राधाकृष्ण शिक्षा संकुल, महावीर पार्क के पास, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर। 3. संभागीय शिक्षा अधिकारी, (संस्कृत) E-179, रमेश मार्ग, जयपुर।	26.03.2014	श्री एम.एस.बैग एवं एम.आई.बैग, अभिभाषक एवं श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता
2.	1571/2013 श्रीमती मंजू जैन		18.09.2013	

आदेश की दिनांक : 24.07.2023

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित दोनों अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन दोनों अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से रिमाण्ड संख्या 02/2014 अंतर्गत अपील संख्या 127/2005 वीरेन्द्र कुमार मिश्रा बनाम प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिक को अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नत किया गया है, उसी तिथि से अपीलार्थी को भी अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नत किया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय संस्कृत के पद पर वेतन श्रृंखला 880–15–1000–20–1200–2500–1400–30–1640–40–1680 (पुनर्निधारण पश्चात् 4500–7000) आदेश दिनांक 29.06.1988 के द्वारा दिया गया। अपीलार्थी को दिनांक 01.04.1994 से स्थाई घोषित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अध्यापक ग्रेड तृतीय की वरिष्ठता सूची जारी की गई। परंतु अपीलार्थी को उक्त सूची के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। अपील संख्या 1260/2000 में अधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 14.11.2002

की पालना में श्री नाथूलाल दरिया को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। उक्त पदोन्नति की जानकारी अपीलार्थी को मिली। इसी प्रकार श्रीमती मांजरी मेहता जो अस्थाई आधार पर अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर कार्यरत थी, उसे अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर आदेश दिनांक 05.05.2002 के द्वारा पदोन्नत कर दिया गया। जबकि अपीलार्थी स्थाई कार्मिक होते हुए भी उसे उक्त पद पर पदोन्नत नहीं किया गया। अपीलार्थी से वरिष्ठ श्री लालचंद खैरवा, जिसे अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नत कर दिया गया, परंतु अपीलार्थी को नहीं किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता के द्वारा न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 15.10.2004 को जारी करते हुए कथन किया है कि वर्ष 1972 एवं 1978 में क्रमशः शास्त्री, आचार्य एवं शिक्षा शास्त्री की जो परीक्षा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित की जाती है, वह बी.ए., एम.ए. एवं बी.एड. के समकक्ष आदेश दिनांक 18.07.1972 एवं 25.05.1978 द्वारा मानी गई हैं। अपीलार्थी का प्रकरण भी श्री नाथूलाल दरिया के प्रकरण के समान है और इस प्रकार अपीलार्थी भी उक्त पद पर पदोन्नति पाने का हकदार है, जिस प्रकार श्री लालचंद खैरवा एवं श्री नाथूलाल दरिया जिन्होंने स्नातक में वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान एवं संस्कृत विषयों में उत्तीर्ण किया है। अपीलार्थी ने भी उक्त आधार पर स्नातक योग्यता अर्जित की है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी कथन किया है कि अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.2012 को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा अपील को खारिज कर दिया गया, परंतु प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के एकलपीठ के आदेश को खण्डपीठ के समक्ष चुनौती दी, जिसे माननीय न्यायालय की खण्डपीठ, जयपुर ने डी.बी.सिविल स्पेशल अपील (रिट) संख्या 986/2015 भुवनेश्वर प्रसाद त्रिवेदी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक 26.10.2018 के द्वारा एकलपीठ के आदेश को खारिज करते हुए अधिकरण के आदेश को बरकरार रखा और प्रार्थीगण को उक्त पद पर पदोन्नति हेतु आदेश दिया, जिसकी पालना में प्रत्यर्थी विभाग ने प्रार्थीगण को पदोन्नति प्रदान की और इस प्रकार अपीलार्थी भी उक्त निर्णय के आधार पर उक्त पद पर पदोन्नति पाने का अधिकारी है। अपीलार्थी को भी उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त लाभों से वंचित रखा गया, जो नियमों के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिक को अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नत किया गया है, उसी तिथि से अपीलार्थी को भी अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नत किया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी द्वारा श्री नाथूलाल दरिया एवं श्रीमती मांजरी मेहता को पदोन्नत किए जाने का जो अपील में उल्लेख किया है, श्री दरिया को आदेश दिनांक 29.05.2004 के द्वारा पदोन्नत किया गया है और श्रीमती मांजरी को दिनांक 05.05.2008 को पदोन्नत किया गया। अध्यापक ग्रेड तृतीय से ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नति की योग्यता उक्त प्रार्थी साहित्य आचार्य–साहित्य अथवा व्याकरण रखते थे एवं शिक्षा शास्त्री (बी.एड. समकक्ष) रखते थे। अपीलार्थी केवल बी.ए. में संस्कृत योग्यता रखता है, जो उक्त पद पर पदोन्नति हेतु नियमों के अंतर्गत नहीं आता है। इसी प्रकार लालचंद खैरवा आचार्य की योग्यता रखते थे, जिसके कारण उन्हें पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी उक्त योग्यताधारी नहीं होने के कारण उसकी पदोन्नति नहीं की गई। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय संस्कृत के पद पर आदेश दिनांक 29.06.1988 के द्वारा हुई थी और दिनांक 01.04.1994 से स्थाई घोषित किया गया। अपील संख्या 1260/2000 में अधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 14.11.2002 की पालना में श्री नाथूलाल दरिया को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। जबकि अपीलार्थी स्थाई कार्मिक होते हुए भी उसे उक्त पद पर पदोन्नत नहीं किया गया। अपीलार्थी से वरिष्ठ श्री लालचंद खैरवा, जिसे अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नत कर दिया गया, परंतु अपीलार्थी को नहीं किया गया। श्री लालचंद खैरवा एवं श्री नाथूलाल दरिया जिन्होंने स्नातक में वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान एवं संस्कृत विषयों में उत्तीर्ण किया है। उसी तरह अपीलार्थी द्वारा भी उक्त आधार पर

स्नातक योग्यता अर्जित की गई है। अपीलार्थी से कनिष्ठ एवं उससे वरिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई है, तो इस प्रकार अपीलार्थी भी उक्त पद पर पदोन्नति प्राप्त करने का हकदार है। अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.2012 को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा अपील को खारिज कर दिया गया, परंतु प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के एकलपीठ के आदेश को खण्डपीठ के समक्ष चुनौती दी, जिसे माननीय न्यायालय की खण्डपीठ, जयपुर ने डी.बी.सिविल स्पेशल अपील (रिट) संख्या 986/2015 भुवनेश्वर प्रसाद त्रिवेदी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक 26.10.2018 के द्वारा एकलपीठ के आदेश को खारिज करते हुए अधिकरण के आदेश को बरकरार रखा और प्रार्थीगण को उक्त पद पर पदोन्नति हेतु आदेश दिया। इस प्रकार अपीलार्थी भी उक्त निर्णय के आधार पर उक्त पद पर पदोन्नति पाने का अधिकारी है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अधिकरण के आदेश दिनांक 21.09.2012 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के खण्डपीठ जयपुर के निर्णय दिनांक 26.10.2018 के प्रकाश में जिस तिथि से अपीलार्थीगण से कनिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई है, उसी तिथि से अपीलार्थीगण को भी अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ आदि नियमानुसार दिए जावें।

मूल आदेश रिमाण्ड संख्या 02/2014 अंतर्गत अपील संख्या 127/2005 वीरेन्द्र कुमार मिश्रा बनाम प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपील संख्या 1571/2013 श्रीमती मंजू जैन में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य